भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी–1

विषयः– अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में पर्यवेक्षक (व्यावसायिक मार्गदर्शन) पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में पर्यवेक्षक (व्यावसायिक मार्गदर्शन) पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जनसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (डी एस) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली. 110108 को लिखित रूप में या इस ई–मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते है।

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंत्र 011–2306 2666

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्‍ वास्‍ थ्‍ य एवं परिवार कल्‍ याण मंत्रालय

नई दिल्‍ ली, तारीख 2021

अधिसूचना

सा.का.नि. .... राष्‍ ट्रपति, संविधान के अनुच्‍ छेद 309 के परन्‍ तुक द्वारा प्रदत्‍ त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्‍ सा एवं पुनर्वास संस्‍ थान, मुंबई पर्यवेक्षक व्यावसायिक मार्गदर्शन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1988को, जहां तक उनका संबंध अखिल भारतीय भौतिक चिकित्‍ सा एवं पुनर्वास संस्‍ थान, मुंबई में रसोइया के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्‍ हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्‍ वास्‍ थ्‍ य एवं परिवार कल्‍ याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्‍ सा एवं पुनर्वास संस्‍ थान में पर्यवेक्षक व्यावसायिक मार्गदर्शन पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्‍ नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्‍ त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों को स्‍ वास्‍ थ्‍ य एवं परिवार कल्‍ याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्‍ सा एवं पुनर्वास संस्‍ थान, मुंबई, पर्यवेक्षक (व्यावसायिक मार्गदर्शन) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2021 कहा जायेगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग - ये नियम इन नियमों के साथ संलग्‍ न अनुसूची के स्‍ तम्‍ भ (1) के पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्‍ या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान- उक्‍ त पदों की संख्‍ या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्‍ तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्‍ ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि - उक्‍ त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्‍ य बातें वे होंगी, जो उक्‍ त अनुसूची के स्‍ तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्‍ ट हैं।

5. निरर्हता - वह व्‍ यक्ति -

   (1) जिसने ऐसे व्‍ यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्‍ नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

   (2) जिसने अपने पति या अपनी पत्‍ नी के जीवित रहते हुए किसी व्‍ यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्‍ त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक स में स्‍ तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्‍ य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पर्यवेक्षक (व्यावसायिक मार्गदर्शन)	01(एक)* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्‍ य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल - 4 (25,500 रु. - 81,100 रु.)	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच	अनिवार्य अर्हताएं : 1. उच्च माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट या मान्‍ यता प्राप्‍ त बोर्ड / विश ववि‌द्यालय / से समकक्ष 2. किसी ट्रेड में अर्थात फोटोग्राफर, पेंटिंग, कार्पेंटर, कंप्यूटर में आईटीआई/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्‍ नत व यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्‍ नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्‍ न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
नहीं	लागू नहीं	पदोन्‍ नति द्वारा अन्यथा लघु अवधि संविदा द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्‍ नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्‍ नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्‍ नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्‍ थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)

पदोन्नति: इस ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा के साथ व्यावसायिक मार्गदर्शन विभाग से अनुदेशक कॉलम सं. 7 में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक और अन्य अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी को लघु अवधि संविधा पर नियुक्त किया जाएगा।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर निदेशक, - अध यक्ष 2. उप निदेशक (पुनर्वास) - सदस्य 3. मुख य चिकित सा अधिकारी (एनएफएसजी) - सदस य 4. संबंधित विभागाध यक्ष - सदस य उपर्युक्त अनुसार समूह 'ग' विभागीय नियमितीकरण समिति	लागू नहीं

(सं. ए-11018/47/2016-एमएच-II)

(प्रेम नारायण)

अवर सचिव, भारत सरकार